

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6) अलेसे-II/

दिनांक

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों ग्रेड-II का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क. सं.	आदेश संख्या	दिनांक	लिक नम्बर	नाम सलेअ ग्रेड-II	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय/विभाग	स्थानान्तरित कार्यालय/विभाग
1.	110/2016-17	10/10/2016	5054	श्रीराम शर्मा	निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर जयपुर [846]	मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर जयपुर [902]
2.	110/2016-17	10/10/2016	5039	मनीश गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर) जयपुर जयपुर [1000353]	निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर जयपुर [845]
3.	110/2016-17	10/10/2016	2540	गजानन्द असवाल	आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर जयपुर [1048]	प्राचार्य, पोलिटेकनिक कॉलेज (जीडब्लूपी) तकनीकी शिक्षा (पोलिटेकनिक) विभाग जयपुर जयपुर [19703]
4.	96/2016-17	10/10/2016	2977	मदन लाल मेघवाल	तहसीलदार राजस्व विभाग बाली पाली [17678]	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाली जिला पाली
5.	102/2016-17	10/10/2016	2150	राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल	तहसीलदार राजस्व विभाग कामां भरतपुर [24335]	विकास अधिकारी, पंचायत समिति पंचायती राज विभाग पहाड़ी भरतपुर [32477]
6.	104/2016-17	10/10/2016	4332	हरमेन्द्र कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय महात्मा गांधी नरगा हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ [3000158]	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ [32598]
7.	110/2016-17	10/10/2016	5838	सत्यनारायण अग्रवाल	महानिरीक्षक सीआईडी (कम्प्यूटर/एससीआरबी) गृह विभाग जयपुर जयपुर [22292]	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एएपी) वन विभाग जयपुर जयपुर [19338]
8.	110/2016-17	10/10/2016	2135	रामेश्वर लाल	उपायुक्त (तृतीय) वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर जयपुर [10529]	निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर जयपुर [846]

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीधे कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आदेशों की प्राप्ति के साथ ही तुरन्त कार्यभार त्याग कर आज ही अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना फैंस अथवा विभागीय ई-मेल पर विभाग को प्रस्तुत करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन कार्मिकों को वर्तमान नियंत्रण अधिकारी से पृथक से कार्यमुक्त होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर यह माना जाएगा कि उपर्युक्त कार्मिक स्वयं विभागीय आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं और इसके लिए उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में बनाई जावेगी।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक 25/09/2017

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)(6) अलेसे-II/1331

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- संबंधित कोषाधिकारी.....
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि स्थानान्तरित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
- उपनिदेशक, एससीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- अति. निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- श्रीसलेअ-II कार्यालय.....।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

(सांवरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)